भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2305
जिसका उत्तर शुक्रवार 13 मार्च, 2020 को दिया जाएगा

आयातित प्याज़ की बर्बादी

2305. श्री संजय सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा आयातित प्याज़ को लेने संबंधी अपने दावों को आंशिक रूप से वापस ले लिया है या पूरी तरह से;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार के गोदामों में पड़े बाकी प्याज़ के निपटान की सरकार की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): कुछेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निम्नलिखित कारणों से जिनमें विशेष रूप से प्याज की उपलब्धता में सुधार करने और कीमत स्थिर रखने, रिटेलिंग नेटवर्क का अभाव, आयातित प्याज में उपभोक्ता की कम रूचि, इसके कम तीखेपन के कारण आयातित प्याज के स्वाद में कमी, स्थानीय किस्म की उपलब्धता इत्यादि शामिल है, आयातित प्याज लेने में रूचि नहीं दिखाई अथवा आयातित प्याज की अपनी मांग वापिस ले ली है।

(ग): सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आपूर्ति के अलावा एम.एम.टी.सी. और नेफेड को आयातित प्याज का विद्यमान बाजार/मंडी/ऑनलाइन पोर्टल दरों पर निपटान करने का निर्देश दिया है। दिनांक 02.03.2020 की स्थिति के अनुसार, लगभग 35,481 मीट्रिक टन प्याज की कुल आयातित मात्रा में से लगभग 27,978 मीट्रिक टन प्याज का निपटान नेफेड और एम.एम.टी.सी. द्वारा किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनकी मांग के आधार पर लगभग 3392 मीट्रिक टन की आपूर्ति शामिल है।

*****